


II/निग 0/सिगरौली/2018/01409

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0)



- | | | |
|----|---|---|
| 1- | श्रीमती पवनकान्ती सिंह पत्नी गोरखनाथ सिंह | |
| 2- | रणजीत सिंह | सभी के पिता गोरखनाथ सिंह एवं सभी निवासी |
| 3- | अमित कुमार सिंह | राजा सरई तहसील व जिला सिगरौली (म0प्र0) |
| 4- | अजीत सिंह | -----आवेदकगण |

बनाम

विमला सिंह पुत्री बल्ली सिंह पत्नी जय प्रताप सिंह, निवासी राजा
सरई, तहसील जिला सिगरौली (म0प्र0) -----अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश अनुविभागीय
अधिकारी सिगरौली, जिला सिगरौली
दिनांक 06/02/18 वावत् प्र0क0-
194/अपी0/2016-17
अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता

मान्यवर

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि, प्रक्रिया एवं अभिलेख के विरुद्ध है ।
- 2- यह कि विवादित भूमियाँ बल्ली सिंह की स्वअर्जित भूमि होने व बल्ली सिंह के द्वारा अपनी स्व-अर्जित विवादित भूमियाँ तारीख 20/11/97 जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपने पुत्र गोरखनाथ के पक्ष में वसीयत निष्पादित करा देने व गोरखनाथ सिंह की मृत्यु बल्ली सिंह के मृत्यु के पूर्व हो जाने के चलते गोरखनाथ सिंह की मृत्यु के बाद बल्ली सिंह का नाम अभिलेखों में दर्ज रहे आने के कारण बल्ली सिंह की मृत्यु के बाद जरिये वसीयत गोरखनाथ सिंह के वारिसान की हैसियत से आवेदकगण के हक में जरिये वसीयत व वारिसाना नामांतरण जरिये पंजी क0-2 दिनांक 07/02/08

Handwritten signature/initials



Handwritten signature/initials

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0 / 1409 / 2018

जिला-सिंगरौली

पवनकांती सिंह / विमला सिंह

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 194/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा) सदस्य </p> <p style="text-align: left;">  </p>	